संख्या : 19/2015/432/छप्पन-2015-4/2009

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च, 2015

विषय :नागरिक उड्डयन विभाग, लखनऊ एयरपोर्ट लखनऊ स्थित हैंगर संख्या-2 के जीर्णोद्धार/पुर्ननिर्माण/विस्तारीकरण/सुदृढ़ीकरण आदि कार्यों की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 817/ना0उ0नि0/हैंगर नं0-2/2014, दिनांक 24-11-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागरिक उड्डयन विभाग, लखनऊ एयरपोर्ट लखनऊ परिसर स्थित हैंगर संख्या-2 के जीर्णोद्धार/पुर्ननिर्माण/विस्तारीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्यों के आगणन में समाहित उच्च विशिष्टियों के कार्यो आदि को कराये जाने का उच्च स्तरीय निर्णय लिया गया है। इंगित कार्यों को कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ से कराये जाने हेतु उनके द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष रूपये 2823-59 लाख की लागत पर व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। अतः राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2014-15 में लखनऊ एयरपोर्ट लखनऊ परिसर स्थित हैंगर संख्या-2 के जीर्णोद्धार/पुर्ननिर्माण/ विस्तारीकरण/ सुदृढ़ीकरण आदि कार्यों के लिए रूपये 28,23,59,000-00 (रूपये अट्ठाइस करोड़ तेइस लाख उनसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रूपये 11,29,44,000-00 (रूपये ग्यारह करोड़ उनतीस लाख चवालिस हजार मात्र) के व्यय की स्वीकृति निम्नलिखितों शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत /अवमुक्त धनराशि के 75 प्रतिशत धनराशि के उपयोग होने पर एवं कार्यदायी संस्था की मॉग पर दूसरी किश्त स्वीकृत करने का प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित प्रेषित किया जाय।

(2) प्रायोजना के लिए कुल स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था से नियमानुसार आवश्यक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जाय।

(3) प्रश्नगत प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों/मात्राओं के अनुसार कार्य कराया जाना कार्यदायी संस्था एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(5) पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति रोकने की दृष्टि से निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना में प्रस्तावित कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अर्न्तगत कराये जाने प्रस्तावित है।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) स्वीकृत धनराशि उसी मद/प्रयोजन पर व्यय की जायेगी, जिस प्रयोजन/मद हेतु स्वीकृत की गयी है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 कार्य की वित्तीय भौतिक प्रगति की पाक्षिक आख्या नियमित रूप से शासन के नागरिक उड्डयन अनुभाग को उपलब्ध कराया जाना और कार्यदायी संस्था से प्रश्नगत कार्यों को प्रत्येक दशा में समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(8) सम्बन्धित निर्माण इकाई से निर्माण कार्य की गुणवत्ता/समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराने का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 का होगा।

(9) प्रश्नगत कार्य को गुणवत्ता पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उपरान्त कार्य के सन्तोषजनक होने के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक उड्डयन अपनी आख्या के साथ उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं अन्य सम्बन्धित लेखा-जोखा पूर्व प्रेषित निर्देशों के अनुसार तथा निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(10) परियोजना की लागत में किसी भी दशा में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न होना निदेशक, नागरिक उड्डयन / कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन से बचने के लिये थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन हेतु प्रतिष्ठित पैनल में से किसी पैनल का चयन किया जायेगा जो निर्माण कार्यों का सतत् अनुश्रवण करेगा और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करायेगा।

(11) हैंगर संख्या-2 के जीर्णोद्धार के समय पुरानी सामग्री उपलब्ध होती है तो ह्रासित मूल्य निर्धारित कर प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कर दिया जाय।

(12) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाय।

(13) कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व नियमानुसार आवश्यक समस्त वैधानिक अनापत्तियां/ पर्यावर्णीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त किये जायेंगे।

(14) वर्तमान हैंगर की डिसमेन्टलिंग के पश्चात मलवे का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(15) बाट-आउट आइटम्स यथा वातानुकूलन संयंत्र, एल0सी0डी0 प्रोजेक्टर सिस्टम्स, वर्टिकल ब्लाइन्डस, पी0ए0 सिस्टम, वाल पैनलिंग, एक्झास्ट फैन, माइल्ड स्टील लेडर, एनोडाइज्ड/ एल्यूमिनियम डोर, ए0सी0पी0 पैनल, माड्यूलर पार्टीशन, आर0सी0सी0 एक:डेढ़:तीन का स्लेब, बीम सुपर स्ट्रक्चर, मिनिरल फाइबर, फाल्स सीलिंग, टाइल्स का कार्य, ट्रान्सफारमर, एच0टी0पैनल, एल0टी0 पैनल, जी0आई0 आक्टोनल पोल, बैटरी, हाई मास्ट, 250 के0बी0ए0 डी0जी0 सेट, सब स्टेशन उपकरण आदि का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों, शासन की क्रय नीति और सामग्री क्रय नियमों के अनुसार की जायेगी। उक्त सामग्री प्रोप्राइटरी श्रेणी की है, जिनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं अत: इनका क्रय / स्थापना निर्माता कम्पनियों से प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करके सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

---3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(16) प्रायोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन बिना व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये नहीं किया जायेगा।

(17) व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक बृद्धि होती है तो पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 02 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षिरत प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 के पूँजी लेखा के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-281/दस-2015, दिनांक 26 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक : प्रायोजना का आगणन।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 19/2015/432(1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- महाप्रबन्धक, कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
6- नियोजन अनुभाग-5
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।